...शी प्रिन्टिंग प्रेस, बड़ीसादड़ी

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत S.D.O मुकाम बड़ीसादड़ी

श्री चम्पा लाल बनाम श्री लाल

किस्म मुकद्दमा 53 R.T. Act नं. 58/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/5/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट निकुम्भ पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि चम्पालाल/रकुआ एवं श्रीलाल/रकुआ, नारायण/रतनलाल, प्रकाशचन्द/वरीचन्द निवासी निकुम्भ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा निकुम्भ 1) चम्पालाल/रकुआ पुत्र निकुम्भ 2972 0.28 3.64 2) श्रीलाल/रकुआ पुत्र निकुम्भ 2972 0.29 3.77 3) नारायण, रतन, प्रकाश, डाया, ने का वरीचन्द 2972 0.29 3.77 4) लक्ष्मीनारायण/चम्पालाल पुत्र निकुम्भ 2972/3 0.28 3.64 इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official